ORIGINAL RESEARCH PAPER | Commerce | Volume - 7 | Issue - 1 | January - 2017 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 79.96

egkRek xk/kh jk'Vªh; xzkeh.k jkstxkj xkjUVh ;kstuk ¼eujsxk½

KEYWORDS

Mk- lqjUnz dqekj vxzoky	lqjs'k dqekj tSu
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), आदर्श महाविद्यालय,रायपुर(छ.ग.)

ifjp;

भारत की अधिकतम जनसंख्या गॉवों में निवास करती है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। हमारे देश में गॉवों की जनसंख्या कृषि पर निर्भर होने के कारण मौसमी बेरोजगारी सबसे अधिक है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत में यह योजना सर्व प्रथम 2 फरवरी 2006 से कुछ राज्यों में लागू की गयी। परन्तु इसकी सफलता तथा ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए इसे 1 अप्रेल 2008 से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है। इस योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है यदि उस परिवार का वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर होने वाले पलायन को रोकना तथा ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी को दूर करना है। इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले किसी भी बेरोजगार ग्रामीण (वयस्क) व्यक्ति को बिना किसी विलंब के सार्वजनिक कार्य में रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पाने की गारंटी का कानूनी अधिकार उपलब्ध कराती है तथा गरीब परिवारों को आर्थिक समस्याओं और महंगाई का सामना करने में सक्षम बनाती है।

सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने का मुख्य लक्ष्य निम्न है:

1. ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करके उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के कार्य।
3. ग्रामीण क्षेत्र में सुखा रोधन कार्य।
4. ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी सम्पतियों का सर्जन।
5. ग्रामीण निर्धनों के लिए आजीविका की व्यवस्था।
6. ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना।
7. पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करके लोकतंत्र को मजबूत करना।
8. ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले शासकीय व्यक्तियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना।

इस योजना के अन्तर्गत कोई भी ग्रामीण परिवार को रोजगार पाने के लिए अपना पंजीयन करवाना आवश्यक होता है जो 5 वर्ष के लिए मान्य होता है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को एक रोजगार कार्ड (Job Card) प्रदान किया जाता है जिसमें उसके द्वारा किये गये कार्य दिवस तथा प्राप्त मजदूरी का विवरण होता है। रोजगार पाने के लिए ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी के पास आवेदन देना होता है। आवेदन करने के पश्चात 15 दिन के अंदर उसे रोजगार उपलब्ध कराया जाता है अन्यथा उस व्यक्ति को प्रथम 30 दिन तक मजदूरी दर के 25% के बराबर तथा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के 50% के बराबर बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा। बेरोजगारी भत्ते की राशि 100 दिन की मजदूरी की राशि से अधिक नहीं हो सकती। यदि राज्य सरकार समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो सम्पूर्ण बेरोजगारी भत्ते की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

NRrhlx< jkT; esa eujsxk ;kstuk

छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा योजना सर्वप्रथम 2 फरवरी,2006 से लागू की गयी। प्रथम चरण में मनरेगा योजना छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू की गयी जो निम्न है : 1. बस्तर 2. कांकेर 3. दंतेवाड़ा 4. धमतरी 5. राजनांदगांव 6. बिलासपुर 7. रायगढ़ 8. जशपुर 9. सरगुजा 10. कोरिया 11. कबीरधाम (कवर्धा) ।

द्वितीय चरण में यह योजना 1 अप्रेल,2007 से छत्तीसगढ़ के निम्न 4 जिलों में लागू की गई: 1. रायपुर 2. कोरबा 3. महासमुन्द 4. जांजगीर–चांपा।

तृतीय चरण में मनरेगा योजना 1 अप्रेल,2008 से छत्तीसगढ़ के शेष सभी जिलों में लागू कर दी गई है, अतः वर्तमान में मनरेगा योजना छत्तीसगढ़ के सभी 27 जिलों में लागू है। इन 27 जिलों में कुल 146 जनपद (ब्लॉक) के अन्तर्गत 10,936 ग्राम पंचायतें कार्यरत है।

राज्य स्तर पर योजना को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार गांरटी परिषद का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष स्वयं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन तथा उपाध्यक्ष माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन है। छत्तीसगढ़ में इस योजना का कियान्वयन त्रिस्तरीय पंचायती राज के माध्यम से किया जाता है जो इस प्रकार हैः (1) ग्राम पंचायत (2) जनपद पंचायत (ब्लॉक स्तर) (3) जिला स्तर। योजना के कियान्वयन की मुख्य जवाबदारी जनपद पंचायत की होती है जहां पर जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है।

NŸkhlx< esa eujsxk dh miyfC/k;k¡

छत्तीसगढ़ में मनरेगा को लागू हुए एक दशक पूरा हो चुका है। मनरेगा के अन्तर्ग मजदूरी की दर वित्तीय वर्ष 2006–07 में 59 रू. थी, सरकार द्वारा समय–समय पर इसमें कई संशोधन किये गये, अतः वर्तमान में मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी की दर 167 रू. है। छत्तीसगढ़ राज्य में मनरेगा के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 150 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। गत दस वर्षों में छत्तीसगढ़ में रोजगार के सम्बन्ध में मनरेगा की उपलब्धियों को निम्न तालिका द्वारा र्दाया गया है :

वित्तीय वर्ष	रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या	परिवारों की संख्या जिन्हे रोजगार उपलब्ध कराया गया	कुल उत्पन्न श्रम दिवस (लाखों में)			
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
2006–07	1412643	1375802	84.08	318.98	297.15	700.21
2007–08	2297042	2284963	196.29	544.77	575.04	1316.10
2008–09	2271194	2270415	203.97	513.65	525.57	1243.19
2009–10	2025845	2025845	159.59	397.85	484.13	1041.57
2010–11	2485581	2485581	161.76	405.43	543.17	1110.36
2011–12	2737452	2727371	116.75	455.53	640.61	1212.89
2012–13	2726377	2626054	107.27	451.56	624.07	1182.90
2013–14	2749242	2511680	115.73	516.09	665.19	1297.01
2014–15	2041857	1744544	59.97	177.13	316.98	554.08
2015–16	2490225	1877457	56.74	301.39	332.44	690.57

उपरोक्ति तालिका के अनुसार जब छत्तीसगढ़ में 2006–07 में मनरेगा योजना लागू की गयी तब रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या 1412643 थी जिसमें से 1375802 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2007–08 में मनरेगा योजना का छत्तीसगढ़ में विस्तार होने के कारण रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या बढ़ कर 2297042 हो गयी जिसमें से 2284963 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। गत दस वर्षों में छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अन्तर्गत सर्वाधिक रोजगार की मांग 2011–12 में 2737452 परिवारों द्वारा की गयी जिसमें से 2727371 परिवारों को रोजगार उपलबध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 में रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या घटकर 2041857 हो गयी जिसमें से 1744544 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, परन्तु 2015–16 में रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या पुनः बढ़कर 2490225 हो गयी जिसमें से 1877457 परिवारों को रोजगार दिया गया जो कि कुल मांगे गये रोजगार का 75.39% था।

मनरेगा के अन्तर्गत कुल उत्पन्न श्रम दिवसों की संख्या वित्तीय वर्ष 2006–07 में 700.21 लाख थी जो 2007–08 में बढ़कर 1316.10 लाख हो गयी। यह संख्या गत दस वर्षों के श्रम दिवसों में सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल उत्पन्न श्रम दिवसों की संख्या 554.08 लाख थी जो गत 10 वर्षों में सबसे कम है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल उत्पन्न श्रम दिवसों की संख्या 690.57 लाख थी। अनुसूचित जाति के श्रम दिवसों की संख्या 2006–07 में 84.08 लाख थी जो कुल उत्पन्न श्रम दिवसों का 12% था। वित्तीय वर्श 2008–09 में अनुसूचित जाति के श्रम दिवसों की संख्या बढ़कर 203.97 लाख हो गयी जो कुल उत्पन्न श्रम दिवसों का 16.4% था। गत दो वर्षों में अनुसूचित जाति के श्रम दिवसों की संख्या में कमी हुई है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जाति के श्रम दिवसों की संख्या 56.74 लाख रही है जो कि कुल उत्पन्न श्रम दिवसों का केवल 8.22% है।

उपरोक्त तालिका के विष्लेशण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार की मांग करने वाले परिवारों की संख्या में कमी हुई है जिसका मुख्य कारण मनरेगा में मजदूरी की दर का कम होना तथा समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं होना है।

lanHkZ xzaFk lwph

1. डे निखिल, द्रेज ज्यां एवं खेरा रितिका, "रोजगार गारंटी अधिनियम", नेानल बुक ट्रस्ट इंडिया, 2008
2. nrega.nic.in
3. knowledge.nrega.net
4. nrega.net
5. mgnrega.cg.gov.in
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, "महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा", ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2012
7. रोजगार गांरटी अधिनियम (प्रवेशिका): निखिल डे, ज्यां द्रेज, रितिका खेरा
8. इंडिया वाटर पोर्टल (हिन्दी)